संख्या-350/2020/2267/22-2-2019-17(960)/2019

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर, 2020**

विषय:-केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नवी हसन पुत्र श्री वली मोहम्मद, निवासी जनपद-बरेली की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24538/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-26-06-2019) दिनांक-08-08-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नवी हसन पुत्र श्री वली मोहम्मद, तुलसीपुर, थाना-भोजीपुरा, जनपद-बरेली का रहने वाला है। बंदी ने न्यायालय से मुकदमें का निर्णय वादी के पक्ष में होने व दुकान खाली कराये जाने की रंजिश में दिनांक 29.08.2000 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचे से गोली मारकर तौफीक एवं हनीफ नामक व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-737/2001 भा0द0सं0 की धारा-302/34, 307/34, 323/34, व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-02, बरेली के आदेश दिनांक 27.08.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.05.2019 तक 15 वर्ष 10 माह 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 09 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी द्वारा किया गया अपराध व्यापक रूप से प्रभाव डालने की श्रेणी में आने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, अपराध रोकने के प्रयोजन से जेल में आगे निरूद्ध रहना आवश्यक होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने मा0 न्यायालय से मुकदमें का निर्णय वादी के पक्ष में होने व दुकान खानी कराये जाने की रंजिश में दिनांक 29.08.2000 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचे से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त न होने, विवाद समाप्त न होने, अपराध रोकने के प्रयोजन से जेल में और आगे निरूद्ध रखना आवश्यक होने का अंकन जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली ने निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नवी हसन पुत्र श्री वली मोहम्मद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी नवी हसन (बन्दी संख्या-39699) पुत्र श्री वली मोहम्मद, निवासी जनपद-बरेली के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-350/2020/2267(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद बरेली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-350/2020/2267/22-2-2019-17(960)/2019

दिनांक 10 सितम्बर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नवी हसन (बन्दी संख्या-39699) पुत्र श्री वली मोहम्मद, तुलसीपुर, थाना-भोजीपुरा, जनपद-बरेली का रहने वाला है। बंदी ने न्यायालय से मुकदमें का निर्णय वादी के पक्ष में होने व दुकान खाली कराये जाने की रंजिश में दिनांक 29.08.2000 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचे से गोली मारकर तौफीक एवं हनीफ नामक व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-737/2001 भा0द0सं0 की धारा-302/34, 307/34, 323/34, व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-02, बरेली के आदेश दिनांक 27.08.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.05.2019 तक 15 वर्ष 10 माह 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 09 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी द्वारा किया गया अपराध व्यापक रूप से प्रभाव डालने की श्रेणी में आने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, अपराध रोकने के प्रयोजन से जेल में आगे निरूद्ध रहना आवश्यक होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने मा0 न्यायालय से मुकदमें का निर्णय वादी के पक्ष में होने व दुकान खानी कराये जाने की रंजिश में दिनांक 29.08.2000 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचे से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त न होने, विवाद समाप्त न होने, अपराध रोकने के प्रयोजन से जेल में और आगे निरूद्ध रखना आवश्यक होने का अंकन जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली ने निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नवी हसन पुत्र श्री वली मोहम्मद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in